डॉ० शुचिता चतुर्वेदी
सदस्य

आजादी का अमृत महोत्सव

उत्तर प्रदेश
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
लखनऊ -226001

रा०बा०आ० / 987 / शिका–40 / वाहन / 2023–24 **दिनांक** 5/9/2023

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः विद्यालयों में 18 वर्ष से कम आयु वाले छात्र / छात्राओं के द्वारा निजी वाहन का प्रयोग वर्जित कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम–2005 की धारा–17(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत किया गया है। बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम–2005 की धारा–13 व 14 के अन्तर्गत आयोग को बालक के अधिकारों का उल्लंघन एवं उनकी संरक्षा के अतिक्रमण की जांच / निस्तारण कराये जाने का पूर्ण अधिकार है।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उमर उजाला में दिनांक 28.08.2023 को पृ0सं0–01 पर प्रकाशित समाचार के माध्यम से संज्ञान में आया है कि ट्रॉमा सेंटर के आंकड़ों के अनुसार दुर्घटनाओं में जान गवाने वाले 40 फीसदी नाबालिग होते हैं। इनमें भी ज्यादातर की उम्र 12 से 18 वर्ष के बीच होती है। बच्चों में आधे सड़क दुर्घटना और बाकी अन्य कारणों से घायल होते हैं।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में अधिकांश विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र / छात्राओं द्वारा अपने निजी वाहनों (एक्टिवा / मोटर साईकिल) का प्रयोग विद्यालय आने–जाने के लिये प्रयोग किया जा रहा है जबकि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–4 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अठारह वर्ष से कम आयु का है, किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरवाहन नहीं चलाएगा। किन्तु कोई व्यक्ति सोलह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी सार्वजनिक स्थान में 50 सी0सी0 से अनधिक इंजन क्षमता वाली मोटर साइकिल चला सकेगा। बच्चों के द्वारा जो भी वाहनो (एक्टिवा / मोटर साइकिल) का प्रयोग किया जा रहा है वह सभी 50 सी0सी0 से अधिक क्षमता के है। साथ ही अवगत होना चाहे कि अधिनियम की धारा 199–क(1) के अनुसार जहॉ कोई अपराध किसी किशोर द्वारा किया गया है ऐसे किशोर संरक्षण या मोटरयान का स्वामी उल्लंघन का दोषी समझा जायेगा और उसके विरूद्ध कार्यवाही का दायी होगा तथा तदनुसार दंडित किया जायेगा।

..............2

कार्यालय : 14–बी, माल एवेन्यू, लालबहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ –226001
दूरभाष : 0522-2239066 ई-मेल : upbalaayog@gmail.com वेबसाईट : www.upbalayog.com

अतः आपसे अपेक्षा है कि समस्त विद्यालयों (सरकारी/प्राइवेट) में उक्त विषय के सम्बन्ध में एक माह तक जागरूकता अभियान चलाया जाये। जागरूकता अभियान में उक्त अधिनियम की जानकारी देने हेतु प्रार्थना सभाओं, अभिभावक–शिक्षक बैठक का समुचित उपयोग किया जाये तथा उसके उपरान्त विद्यालय प्रबधंन छात्रा/छात्राओं के द्वारा स्वयं प्रयोज्य निजी (एक्टिवा/मोटर साइकिल) वाहनो का प्रवेश अपने विद्यालय प्रांगण में प्रतिबन्धित करें। जिससे कि सड़क दुघर्टना में नाबालिगो की संख्या में रोक लगायी जा सके। कृत कार्यवाही से आयोग को अवगत कराये।

संलग्नक– उक्तवत्।

भवदीया

(डॉ0 शुचिता चतुर्वेदी)
सदस्य

पृ0सं0 – रा0बा0आ0/ 987 /शिका–40/वाहन/2023–24 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन परिवहन विभाग।

2– परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।

3– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

सदस्य